(169)

823

संख्या– /XII/2012/82(12)/2005

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तराखण्ड देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
टिहरी/चमोली/चम्पावत।

पंचायतीराज अनुभाग–1, देहरादून दिनांक।५ अगस्त, 2012

विषय– **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत क्षमता विकास के त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 33/पं0–2/लेखा/प्रशिक्षण/2012–13 देहरादून दिनांक 10 अप्रैल, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पंचायतीराज विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण मद में स्वीकृत धनराशि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान को अवमुक्त की गयी है, किन्तु उक्त संस्थान द्वारा समय से धनराशि का उपयोग नही किये जाने एवं प्रशिक्षण का लक्ष्य पूर्ण नही किये जा सकने के कारण संस्थान के पास अभी भी गत वर्ष की धनराशि उपयोग हेतु अप्रयुक्त पड़ी हुई है। योजना के हित में प्रमुख क्षेत्र पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के प्रशिक्षण उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है शासनादेश संख्या–564/xii/2012/82(01)/2011 दिनांक 28 जून, 2012 द्वारा पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत क्षमता विकास हेतु रू. 1.99 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसके अन्तर्गत पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के जनपदों यथा टिहरी, चमोली एवं चम्पावत हेतु क्षमता विकास के अन्तर्गत कियान्वयन किया जाना है। उक्त अवमुक्त धनराशि रू. 1.99 करोड के सापेक्ष जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 816 निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण रू. 18,13,410/– (रू. अठारह लाख तेरह हजार चार सौ दस मात्र) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी उत्तराखण्ड नैनीताल के स्तर से कराया जायेगा तथा 03 जनपदों हेतु पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं नगर पालिका सदस्यों के 13472 निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु रू. 1,04,59,000/– (रू. एक करोड़ चार लाख उनसठ हजार मात्र) प्रशिक्षण जनपद स्तर से किया जायेगा। उक्त स्वीकृत स्वीकृत धनराशि में से जनपद चमोली, टिहरी एवं चम्पावत के क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक–एक अर्थात् 03 रिर्सोर्स सेन्टर रू. 10–10 लाख की लागत के कुल 30 लाख रूपये से बनाया जायेगा।

3– अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह के 07 तारीख तक शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–564/xii/2012/82(01)/2011 दिनांक 28 जून, 2012 द्वारा पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत क्षमता विकास हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू. 1.99 करोड़ में से जिला पंचायतों के सदस्यों व क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल को उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के सापेक्ष परीक्षण कर हस्तान्तरित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या (1)/XII/2012/82(12)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, उत्तराखण्ड नैनीताल।

2–अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर देहरादून।

3–संयुक्त निदेशक, निदेशालय पंचायतीराज देहरादून।
4–संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड देहरादून।
5–एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
6–जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी/चमोली/चम्पावत।
7–अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
8–प्रमुख क्षेत्र पंचायत, उत्तराखण्ड।
9–कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव।